न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 39/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुखाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोल तहसील जायल हाल निवासी छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर।		1 मुकेश पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम रोल तहसील जायल। 2 सरपंच ग्राम पंचायत रोल तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

2 श्री हनुमानराम दाधीच, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 06.02.2023

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा मिसल संख्या 762/2017 पट्टा संख्या 49 दिनांक 07.07.2017 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.09.21 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 04.10.21 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री हनुमानराम दाधीच अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा आवेदन की फोटोप्रति, मिसल संख्या 762/05.06.17 की फोटोप्रति, मदनलाल के राशनकार्ड की फोटोप्रति, मुकेश के आधार कार्ड की फोटोप्रति, भामाशाह कार्ड की फोटोप्रति, मुकेश के शपथ की फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 10.06.16 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 49 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी ने ग्राम खाटूखुर्द की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 की फोटोप्रति, मौजा खाटूखुर्द के मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, मौजा खाटूखुर्द की जमाबंदी सम्वत् 2005 से 25 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पट्टा जैर निगरानी कभी भी ग्राम पंचायत रोल द्वारा जारी नहीं किया गया, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के नाम पटटा जारी किया जा सकता है, ग्राम पंचायत रोल का पटटा जारी करने का प्रस्ताव विधि विरूद्व व न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना कर जारी किया है, जो काबिल अपास्त किये जाने के है।

2(2)– निगरानी में वर्णित तथाकथित पटटा नियम विरूद्व एवं विधि विरूद्व भी है, जो अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत रोल ने अप्रार्थी नम्बर 1 मुकेश से मिलावट कर आपराधिक षड्यंन्त्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना रोल में पेश की, जिससे अपराध का संज्ञान लेकर चलान भी पेश हो रखा है। अप्रार्थी नम्बर 1 का कब्जा के अभाव में प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना की है। तथाकथित पट्टा की भूमि को दिनेश पुत्र मदनलाल के नाम रामकुंवार पुत्र भेराराम से खरीदना बताया है, जबकि रामकुंवार को उक्त बेचान इकरार करने का कोई हक व अधिकार नहीं रहा। ना ही बेचानकर्ता का कभी कब्जा बतौर मालिक के कभी कब्जा रहा था। ग्राम पंचायत रोल द्वारा भी मौका रिपोर्ट निराधार बनाई, जिसमें पडौसियों के बयान भी नहीं लिये। बेचान का इकरारनामा अब रजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड है, जिससे भी कोई स्वामित्व अन्तरण नहीं होता है। ऐसे इकरारनामा को साक्ष्य में भी ग्राहय नहीं किया जा सकता। इन तमाम परिस्थितियों में अप्रार्थी नम्बर 1 के पक्ष में अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा जारी पटटा संख्या 49 काबिल अपास्त किये जाने के है।

2(3)– पट्टा जैर निगरानी की भूमि प्रार्थी के दादा स्वर्गीय तुलछाराम के समय की निर्मित मकान की है, तत्पश्चात प्रार्थी के पिता स्वर्गीय कानाराम, एवं कानाराम के पश्चात प्रार्थी निरन्तर कब्जा उपयोग में लेता रहा है, जिससे उक्त भूमि का प्रार्थी स्वामी है एवं बतौर मालिक के हक अधिकार रहता है, जिससे भी पट्टा निरस्त किये जाने के है।

2(4)– तथाकथित पट्टा जैर निगरानी की भूमि को रामकुंवार पुत्र भेराराम जाट निवासी कांटिया, तहसील खींवसर द्वारा उक्त भूमि का मालिक बनकर बेचान का इकरारनामा लिखवा दिया एवं दिनेश पुत्र मदनलाल के हक में विक्रय करने का अधिकार दिया गया है, जबकि रामकुंवार को ऐसा इकरार करने की अधिकारिता ही नहीं थी, फिर भी झूठे व कपटपूर्ण दस्तावेज से अप्रार्थी नम्बर 2 ने मुकेश अप्रार्थी नम्बर 1 के पक्ष में पटटा जारी किया, जो काबिल अपास्त के है।

2(5)–प्रार्थी ने सम्पूर्ण पत्रावली मिसल संख 762/17 की ग्राम पंचायत रोल से नकलें चाही गयी, मगर अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा नकलें नहीं देने पर विकास अधिकारी मूण्डवा से सूचना के अधिकार के तहत नकलें प्राप्त की,

अपर कलक्टर, नागौर

जिनसे भी राजस्थान पंचायत राज नियम के 145 से 149 तथा नियम 154 से 157 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही पट्टा जारी किया गया जो पट्टा अवैध होने से निरस्त किये जाने के है।

2(6)– राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार प्रस्तावित भूमि प्रार्थी के आवेदन में वर्णित मालिकाना हक अधिकार एवं पुरातन स्वामित्व की होना आज्ञापक प्रावधान है, जिसके अनुसार इकरारनामा से बेचानकर्ता के स्वामित्व नहीं थी, ना ही कब्जा था, इसलिए तथाकथित पटटा जैर निगरानी का अपास्त किये जाने के है।

2(7)– आवासीय भूमि का पटटा संख्या 49 में वर्णित राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार आवण्टी का पचास वर्ष से अधिक समय से पुराना कब्जा हो एवं एक सौ / दो सौ रूपये की फीस का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ग्राम पंचायत को एक सौ रूपये से अधिक फीस के पटटा का रजिस्ट्रेशन भी आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी भी पालना नहीं करने से पट्टा अवैध होने से निरस्त किये जाने के है।

3(1)– प्रार्थी निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी सरासर गलत आधारों पर पेश कर विधि सम्मत पट्टे को गलत ढंग से चुनोती दी है। ग्राम रोल की आबादी क्षेत्र में स्थित उक्त रहवासी मकान से निगरानीकर्ता सुखाराम का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी सुखाराम स्वर्गीय तुलछाराम का पौत्र नहीं होकर चन्द्राराम का पौत्र है। प्रार्थी निगरानीकर्ता सुखाराम के जन्म से पहले ही उसके पिता कानाराम चन्द्रो निवासी खाटूखुर्द के गौद चला गया था व बतौर गोदपुत्र चन्द्रो उर्फ चन्द्राराम के साथ ही निवास करने लगा, इस कथन के समर्थन में पुराने खसरा नम्बर 926, 942, 757, 938 वाके मौजा खाटूखुर्द की खतौनी संवत 2005 से 2025 की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें कानो वल्द चन्द्रा जाट खातेदार के रूप में दर्ज है यानि निगरानीकर्ता के पिता कानाराम पुत्र चन्द्राराम का नाम दर्ज है व उसके बाद निगरानीकर्ता का जन्म होने से निगरानीकर्ता चन्द्राराम का पौत्र हुआ, रहा व है। इस कारण तुलछाराम की सम्पति व मकान आदि से निगरानीकर्ता का कोई सरोकार नहीं रहा है। उक्त खसरान के वर्तमान खसरा नम्बर 243 / 1709, 2045 / 1710, 2047 / 356, 2084 / 2055, 2085 / 2055, 1706 / 489, 489, 935 वाके मौजा खाटूखुर्द की खतौनी में सुखाराम पुत्र कानाराम जाति जाट व उसके भाई कालूराम पुत्र कानाराम 1 / 3 हिस्सा, देवाराम पुत्र कानाराम 1 / 3 हिस्सा व सुखाराम पुत्र कानाराम 1 / 3 हिस्सा दर्ज है पुराने व नये खसरान के मिलान क्षेत्रफल व उससे संबंधित दस्तावेजात की ओर ध्यान दिलाया। निगरानीकर्ता अपने पिता कानाराम व दादा चन्द्रो उर्फ चन्द्राराम का वारीस उतराधिकारी हुआ, रहा व है तथा गांव खाटुखुर्द का मूल निवासी है गांव रोल में निगरानीकर्ता कभी नहीं रहा। जिससे इस पट्टा से संबंधित मकान से निगरानीकर्ता का कोई सरोकार नहीं है। उक्त मकान की जायगा रामकुंवार पुत्र भैराराम जाट निवासी रोल के कब्जासुद स्वामित्व की थी और रामकुंवार ने विधिवत बेचान दिनेश पुत्र मदनलाल यानि अप्रार्थी संख्या 1 के भाई को करके उसके हक में बाकायदा 500 रूपये स्टाम्प पर बेचान इकरारनामा निष्पादित किया व उसको नोटेरी पब्लिक से दिनांक 10.06.2016 को तस्दीक करवाया था, जिससे उक्त सम्पति का खरीदसुदा मालिक दिनेश पुत्र मदनलाल हुआ। तत्पश्चात पारिवारिक बंटवाडा में उक्त सम्पति अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में आई व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा उपयोग उपभोग होने से विधिवत पटटा का आवेदन किया गया व ग्राम पंचायत ने पटटा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण किया व स्वामित्व की जांच करके नियमानुासर पटटा जारी किया था व पट्टा जारी करने से पूर्व आपति भी आमंत्रित की गयी व बोर्ड पर चस्पा किया गया था लेकिन किसी को कोई उजर आपति नहीं होने से विधिवत पट्टा जारी किया था। इस प्रकार उक्त पट्टा पूर्णतया वैध व प्रभावी हुआ, व रहा व है। इतना ही नहीं उक्त पट्टा को विधिवत उप पंजियक कार्यालय जायल में दिनांक 25.09.17 को पंजीयन करवाया जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 313 पृष्ठ संख्या 97 क्रम संख्या 2017003904 पर पंजीबद्व हो रखा है। रजिस्टर्ड दस्तोवज को न्यायालय हाजा में कथित निगरानी के जरिये विधि विरूद्व तरीके से चुनोती दी है रजिस्टर्ड दस्तावेज के सबंध में सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होने से निगरानी न्यायालय हाजा में पोषणीय भी नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। प्रथम तो उक्त पटटा जारी करने में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं हुई है दोयम में तथ्यों की बात नहीं देख सकते है कानूनी बात देख सकते है तथा ग्राम पंचायत रोल ने कानून सम्मत तरीके से नियम कायदो की पालना करते हुए विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया है जिसमें तथ्य की कोई गलती नहीं है। ऐसे पट्टे के संबंध में निगरानी का कोई प्रावधान नहीं है यदि कोई उजर आपति निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की कार्यवाही उक्त रजिस्टर्ड पट्टा के संबंध में करने का अधिकार ही है। इस प्रकार उक्त पट्टा से संबंधित सम्पति से प्रार्थी का किसी भी रूप में कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 वहैसियत मालिक विधिवत काविज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है इस सम्पति पर लाखों रूपये खर्च किये है। निगरानीकर्ता ने निगरानी में तुलछाराम के एक पुत्र कानाराम होना भी गलत दर्ज किया है जबकि तुलछाराम के कानाराम के अलावा एक अन्य पुत्र दुदाराम और था दो पुत्र होने से तुलछाराम ने कानाराम को गौद दिया था, जिन तथ्यो को जानबूझ कर निगरानीकर्ता ने छुपा कर भ्रमित तथ्य प्रकट कर न केवल अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बल्कि न्यायालय के साथ भी छल कपट धोखाधडी की है। निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी के विरूद्व मिथ्या व बिना आधार के आक्षेप लगाये है व सांठगांठ करके कूटरचित बेचान का इकरारनामा होना कथन किया है निगरानीकर्ता के ऐसे कथन कर देने मात्र से किसी भी दस्तोवज को कूटरचित होना नहीं माना जा सकता है कूटरचित के संबंध में किसी भी न्यायालय का निर्णय नहीं है इस कारण

अपर कलक्टर, नागौर

निगरानीकर्ता के ऐसे कथन कतई माने जाने योग्य नहीं हैं। निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टा संख्या 49/7.7.17 को निर्धारित समयावधि में चुनोति नहीं दी है बल्कि मियाद बाहर निगरानी पेश की है तथा मियाद के संबंध में जो तथ्य व कारण दर्ज किये है वे बनावटी है माकूल व पर्याप्त कारण भी नहीं है जिससे मियाद के बिन्दु पर भी निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)–प्रार्थी ने उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं करने का कथन किया व आगे ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने का कथन कर रहा है जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के कथन अपने आप में विरोधाभाषी, झुठे बेबुनियाद है व ऐसे आधारो पर विधि सम्मत रजिस्टर्ड पटटा को ऐसी निगरानी के जरिये चुनोती देने का कोई प्रावधान विधि में नहीं है। निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को विधि विरूद्व बताया है मगर ऐसे प्रस्ताव को चुनोती नहीं दी है। जबकि ग्राम पंचायत रोल ने पट्टा जारी करने से पूर्व इस हेतु वांछित तमाम आवश्यक प्रक्रिया व कार्यवाही की है उसके बाद ही पट्टा जारी किया गया है व उप पंजीयक अधिकारी ने भी विधि सम्मत जांच करके पट्टा का पंजीयन किया है उप पंजियक को निगरानी में पक्षकार भी नहीं बनाया है न ही दिनेश को पक्षकार बनाया है जिससे भी आवश्यक पक्षकारों के अभाव में निगरानी पोषणीय नहीं है।

3(3)–निगरानीकर्ता ने बार बार उक्त विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। ग्राम पंचायत रोल ने न तो मुकेश से मिलावट की न ही किसी षडयंत्र के तहत कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किये है। निगरानीकर्ता ने कोई मिथ्या शिकायत करके पुलिस पर दबाव बनाकर कोई कार्यवाही करवा दी है तो उससे निगरानीकर्ता को ऐसी निगरानी पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त इकरारनामा के संबंध में न्यायालय हाजा में गलत चुनोती दी है। निगरानीकर्ता न तो उक्त सम्मति पर कभी काबिज रहा न उसके पास किसी भी प्रकार का कोई वैध स्वामित्व दस्तावेज ही है ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की कोई लोकस स्टेण्डाई भी नहीं है इस कारण निगरानीकर्ता को उक्त इकरारनामा, पट्टा आदि को चुनोती देने का किसी भी सुरत में कोई विधिक अधिकार नहीं होने से भी निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

3(4)–निगरानीकर्ता बिना हक अधिकार के अपने आप को स्व. तुलछाराम का पौत्र होना बता रहा है जबकि निगरानीकर्ता तुलछाराम का पौत्र न होकर चन्द्रा उर्फ चन्द्राराम का पौत्र है। निगरानीकर्ता के पिता का नाम कानो वल्द चन्द्रा रहा है तो ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता को तुलछाराम का वारिस बताकर किसी भी सम्पति के दस्तावेज को चुनोती देने का अधिकार नहीं है निगरानीकर्ता को पहले सक्षम न्यायालय से तुलछाराम का विधिक उतराधिकारी होने बाबत उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना पडेगा उसके बाद ही कोई उजर आपत्ति करने का अधिकारी हो सकता है निगरानीकर्ता तुलछाराम का वारीस होना ही साबित नहीं है तो तुलछाराम की सम्पति के संबंध में किसी भी प्रकार का हक अधिकार उजर आपति करने का अधिकारी नहीं हो सकता है।

3(5)–निगरानीकर्ता ने रामकुंवार पुत्र भेराराम के विरूद्व मिथ्या आक्षेप लगाये है जबकि रामकुंवार पुत्र भेराराम इस निगरानी में पक्षकार भी नहीं है व जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है उसके संबंध में किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाये जाते है तो वे गौर करने लायक नहीं हो सकते है। इस कारण ऐसे आक्षेप भी माने जाने योग्य नहीं है।

3(6)–निगरानीकर्ता भूमाफिया गिरोह का सदस्य है तथा नाजायज रूप से तंग परेशान करने व लोगो की सम्पति हडपने की बदनियती से झुठी मुकदमेबाजी बिना अधिकार के कर रहा है व निगरानी को मियाद में दर्शाने के लिए बिना हक अधिकार के नकलो की कोई मांग की है तो वह भी गलत की है व निगरानीकर्ता किसी भी रूप में प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उसकी नकले प्राप्त करने या निगरानी करने का अधिकार नहीं है।

3(7)–निगरानीकर्ता ने उक्त इकरारनामा व कब्जे के संबंध में भी बिना हक अधिकार के विधि विरूद्व आक्षेप लगाये है जिनका कोई आधार नहीं है।

3(8)–निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम की गलत ढंग से व्याख्या की है इस तरह से मनमर्जी से कोई तथ्य दर्ज कर देने मात्र से निगरानीकर्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है निगरानीकर्ता का मौके पर आज तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है व जन्म से लेकर आज तक कभी भी रोल में निवास नहीं किया है इस कारण इस सम्पति से उसका कोई सरोकार नहीं है और ऐसे स्थिति में निगरानी पोषणीय नहीं है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत रोल द्वारा मिसल संख्या 762/2017 पट्टा संख्या 49 दिनांक 07.07.2017 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का पट्टा पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, गवाहों के बयान तथा दिनांक 05.06.17 को ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 मुकेश के पक्ष में पटटा बनाने हेतु प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से लिया गया होना प्रतीत होता है। पटटा विधि अनुसार जारी किया जाना होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे पटटा जैर निगरानी मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर